

बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या-04 / 2024

परीक्षाफल

बिहार विधान सभा सचिवालय विज्ञापन संख्या-04 / 2024 के अंतर्गत (i) पुस्तकालय परिचारी (ii) कार्यालय परिचारी (दरबान) (iii) कार्यालय परिचारी (माली) (iv) कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी) एवं (v) कार्यालय परिचारी (फर्शा) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए दिनांक 15.02.2025 से 25.02.2025 तक साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची से, अभ्यर्थियों द्वारा चयनित पदों की प्राथमिकता के आधार पर, आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अनुक्रमांकवार निम्नवत है:-

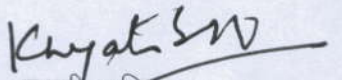
1. पुस्तकालय परिचारी [कुल-01 पद]
कोटि-अत्यंत पिछड़ा वर्ग
22504166
2. कार्यालय परिचारी (दरबान) [कुल-02 पद]
कोटि-अनारक्षित
22509131
कोटि-पिछड़ा वर्ग
22508974
3. कार्यालय परिचारी (माली) [कुल-02 पद]
कोटि-अनारक्षित
22511148
कोटि-अत्यंत पिछड़ा वर्ग
22509399
4. कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी) [कुल-08 पद]
कोटि-अनारक्षित
22501392, 22510545
कोटि-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
22508536
कोटि-अत्यंत पिछड़ा वर्ग
22503968, 22508689
कोटि-पिछड़ा वर्ग
22501153, 22504153
कोटि-पिछड़े वर्ग की महिला
22509025
5. कार्यालय परिचारी (फर्शा) [कुल-04 पद]
कोटि-अनारक्षित
22508041, 22509309
कोटि-अनुसूचित जाति
22510106
कोटि-पिछड़े वर्ग की महिला
22506477

ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि इत्यादि की अंकित की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षाफल तैयार किया गया है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

उक्त सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 05.05.2025 को 11:00 बजे पूर्वा० से बिहार विधान सभा के मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा।

अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे:-

1. ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
2. प्रवेश पत्र (Admit Card)
3. दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
4. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
5. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए:-
 - (क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - (a) जातिप्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
 - (b) स्थायी निवासी प्रमाण पत्र।
 - (ख) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - (a) जाति प्रमाण पत्र
 - (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
 - (c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)
ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
 - (ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - (a) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
 - (b) आय प्रमाण पत्र
 - (c) परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र [सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र]
6. विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य प्रमाण-पत्र (यदि हो)।
7. प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जाँच में स्वयं नहीं उपस्थित होने अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है।


प्रभारी सचिव 24/4/23
बिहार विधान सभा